न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33/2018

1 चन्दा पुत्री झाबरमल उम्र 46 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल पत्नी भागीरथ निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़।
2 सुनीता पुत्री झाबरमंल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल पत्नी प्रमोद कुमार निवासी जेजूसर नवलगढ़।
3 कौशल्या पुत्री झाबरमल उम्र 38 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल पत्नी विजय सिंह तन सौंथली निवीस मूण्डो की ढाणी।

अपीलांटस

बनाम

1 प्रियांशु पुत्र स्व. महेश कुमार उम्र 8 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू जरिये कुदरती संरक्षिका माता लक्ष्मी पत्नी स्व. महेश कुमार उम्र 38 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
2 झाबरमल दत्तक पुत्र हनुमान प्रसाद उम्र 73 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 सीताराम पुत्र झाबरमल उम्र 42 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 मुकेश कुमार पुत्र झाबरमल उम्र 35 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
5 प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 02.02.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी मुकदमा प्रियांशु बनाम झाबरमल वगै. दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 246/2016

अपील संख्या 41/2024

1 सीताराम पुत्र झाबरमल उम्र 42 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 मुकेश कुमार पुत्र झाबरमल उम्र 35 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

अपीलांन्टस

बनाम

1 प्रियांशु पुत्र स्व. महेश कुमार उम्र 8 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू जरिये कुदरती संरक्षिका माता लक्ष्मी पत्नी स्व. महेश कुमार उम्र 38 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
2 झाबरमल दत्तक पुत्र हनुमान प्रसाद उम्र 73 साल जाति जाट निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी प्रियान्शु बनाम झाबरमल वगै. मु.नं. 246/2016 आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. बाबत निरस्त करने प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2018 दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्रीमती लक्ष्मी चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री फुलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

सहायक कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त जिला अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 24·4·26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 246/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2018, 30.04. 2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दावा घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 150 वाके ग्राम मेणास प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में यह वाद प्रतिवादी झाबर, सीताराम, मुकेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जरिये वकील उपस्थिति रही थी। दिनांक 22.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.04.2024 को आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिकी किया गया है। प्रतिवादी सीताराम की ओर से अपील संख्या 41/2024 प्राथमिक डिकी दिनांक 02.02.2018 एवं आदेश 09 नियम 13 के आदेश दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार अपील संख्या 33/2018 अपीलांट चंदा, सुनिता, कौशल्या की ओर से प्राथमिक डिकी दिनांक 02.02.2018 के विरूद्ध धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

...नील कुमार II RAS
...प्रबन्ध अधिकारी एवं
... राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष गलत रूप से केवल अपने आपको व अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 को स्व. हनुमानप्रसाद का वारिस बतलाकर व वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम होने व अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता स्व. महेश कुमार व अप्रार्थी नम्बर 3, 4 को अप्रार्थी नम्बर 1 के पुत्र होने के नाते अधिकार मानते हुये दावा प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थीगण भी स्व. हनुमानप्रसाद की पोतिया है तथा उक्त अप्रार्थी नम्बर 2 की जाईन्दा पुत्रियां है। उनके भी उक्त सम्पति में अप्रार्थीगण के समान अधिकार है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी द्वारा अपने नाम से 1/4, 124 का हिस्सा अमल दरामद करवाने का निर्णय व डिक्री अपने हक में पारित करवाई है अगर अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 उक्त विवादित जमीन में हिस्सा रखते है तो उतना ही हिस्सा प्रार्थीगण का भी बनता है। यह विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 4 का बराबर का हिस्सा है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 ने बेईमानी पूर्वक आशय से सच्चाई को छुपाकर विचारण न्यायालय से अपने हक में दावा निर्णित व डिक्री करवाया है तथा विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 के बेईमानी पूर्वक आशय से सच्चाई को छुपाकर तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किये दावे के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर एक ने इनको पक्षकार बनाये वगैर ही बाला बाला अपने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2, 3 व 4 की खातेदारी अपने नाम ही निर्णित व डिक्री करवा ली व अपीलान्ट को दावे के पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था ओर इनको पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेन्टस ने अपने हक में दावा निर्णित व डिक्री करवा लिया जिस निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण/प्रार्थीगण प्रभावित हुए है उनके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए अपना विधिक हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपील पेश करना चाहते है तथा पीड़ित पक्षकार है। इसलिए पीड़ित पक्षकार होन से प्रार्थीगण/अपीलान्ट को अपील पेश करने व पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलान्टस को व्यक्तिगत रूप से मौजूदा वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ था ना ही उनकी कोई प्रोपर तामील थी। मामले के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 झाबरमल के सम्मन लेने पर अपीलान्टस की तामील पर्याप्त मानी गई

II RAS
अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 झाबरमल व अन्य की ओर से अपीलान्टस के विरूद्ध पूर्व में विधिवत विभाजन का वाद पत्र मुकदमा नम्बर 251/2015 सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट ने पेश किया था जिसके लिए अपीलान्टस ने न्यायालय में उपस्थित आये थे तब सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट ने प्रार्थीगण से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे और कहा था कि आपका दूसरा वकील नियुक्त करवाकर उक्त वाद पत्र मु. नम्बर 251/2015 का निर्णय सहमति से करवाकर वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवा दूंगा। उक्त प्रकरण के संबंध में अपीलान्टस ने सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया था। ना ही अपीलान्टस की कोई प्रोपर तामील हुई थी। अपीलान्टस को दिनांक 22.12.2017 को हुई एक तरफा कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं रही। श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट ने दिनांक 25.05.2017 को प्रकरण संख्या 251/2015 को बिना पक्षकारान को सूचना दिये विड्रो कर खारिज करवा दिया तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 22.12.2017 को अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। ना ही न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त प्रकरण एवं उसमें होने वाली कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना दी। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को जवाबदेही एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.04.2024 व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 02.02.2018 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रियान्शु की माता लक्ष्मी चौधरी पेशे से वकील है जिसने अपीलान्टस के विरूद्ध गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करवाया है। दिनांक 26.02.2018 को तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया उक्त विभाजन प्रस्ताव प्रोपर नहीं है क्योंकि मामले में तहसीलदार नवलगढ़ ने मौके पर जाकर कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया है तथा पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। राजस्व नियमों के अनुसार पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलान्टस को बिना जवाब देही व सुनवाई के ही उक्त एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने झाबरमल के सभी वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवश्यक पक्षकार के अभाव में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का वाद चलने योग्य नहीं है इसलिए भी विचारण न्यायालय के एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 02.02.2018 खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2024(1) रेव पेज 680, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1021, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1502 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपील संख्या 41/2024 के अपीलांट सीताराम एवं मुकेश प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रहे है। विचारण न्यायालय में अपीलांट सीताराम व मुकेश की सम्यक तामील के उपरांत दिनांक 24.11.2016 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत दिनांक 22.12.2017 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2018 को बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 26.02.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 30.04.2024 को अपीलांट का आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज किया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.02.2018 को विचाराधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.02.2018 की जानकारी होने के उपरांत भी प्राथमिक डिक्री को दिनांक 06.06.2024 को आदेश 09 नियम 13 के आदेश के साथ चुनौती दी है। इस विलम्ब को कंडोन करने के लिए अपीलांट की ओर से धारा 5 का कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 08.11.2018 को पक्षकारों के मध्य आपराधिक प्रकरण होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना नवलगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस पर अपीलांट सीताराम के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार अपील संख्या 33/2018 में भी अपीलांट आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2018 व दिनांक 23.03.2018 की पूर्ण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जानकारी रही है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 2, 3, 4 से काफी अच्छे सम्पर्क थे परिवार में आना जाना रहता था। पुरा परिवार एक जगह बैठता था और रेस्पोडेन्टस के पिता ने अपने जीवन काल में जमीन जैर बहस का बंटवारा कर दिया था उसके हिस्से में 12 बिघा जमीन आयी थी। जिसके संबंध में पारिवारिक बंटवारा भी लिखा गया था जिसमें सभी बाते दर्ज की गयी है और परिवार में मिल बेठकर समझौता किया था दिनांक 08.11.2018 को एवं जिस दिन पत्थरगढ़ी की गयी थी जब भी अपीलान्टस मौजुद रही है। इसके अलावा दिनांक 03.12.2018 को भी परिवार जन, रिश्तेदारों के मध्य राजीनामा किया गया था जिसमें भी अपीलान्टस मौजुद रही है। इसके अलावा भात छुछक व अन्य सामाजिक रितीरिवाज व प्रोग्राम भी किए गये है और अपीलान्टस द्वारा अपने विवाह के बाद जमीन जैर बहस में अपने हक व हिस्सा का हक त्याग कर दिया गया था परन्तु रेस्पोडेन्टस 1 के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मन में लालच आ जाने के कारण भू–माफियों से मिलकर मात्र हैरान व परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। इसलिए धारा 96 का फायदा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्टस की उम्र मात्र 5 साल थी जब पिता का देहान्त हुआ था और पिता की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दावा पेश किया जो दिनांक 25.10.2018 को मु.नं. 246/18 है एवं जो माननीय न्यायालय के यहां अपील में चल रहा है उनवानी प्रियांशु बनाम झाबरमल वगै है जो एस.डी.ओ.त्र नवलगढ़ के यहां चला है वर्ष 2016 से जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 ने दिनांक 28.11.2015 को दावा पेश किया था एसडीओ नवलगढ़ कोर्ट के मु.नं. 251/2015 जो रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 है अपीलान्ट के पिता है जिसके साथ इनका सब का आना जाना रहा है जो अपने पिता व भाईयों के पास जाती रही है जिसे दिनांक 25.05.2017 को विड्रा किया है जिसका उनवानी झाबरमल बनाम सीताराम वगै. है। प्रियांशु बनाम झाबरमल एवं झाबरमल बनाम सीताराम वगै. दोनों दावा एक साथ चल रहे थे। इस प्रकार से अपीलान्ट को दावे की पुरी जानकारी रही है परन्तु

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जान–बुझकर न्यायालय को गुमराह कर रहे है। उस वक्त दावा में पक्षकार बन सकती थी। सब कुछ इनकी जानकारी में था। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में पुख्ता मकानात व गायों की डेयरी एवं दो ट्यूबवेल एवं 19 फीट का रास्ता भी लिया था क्योंकि रास्ता नहीं था पगडण्डी थी परन्तु अब अपीलान्ट के मन लालच आ गया। इस प्रकार से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 ने अपीलान्टस के साथ मिलकर दिनांक 28.11.2015 को सुरेन्द्र भर्रा एडवोकेट के जरिये वकालतनामा लगाया था नवलगढ़ एसडीओ कोर्ट में विभाजन का दावा किया था। जिसमें उनवनी झाबरमल बनाम सीताराम वगै. मु.नं. 251/2015 थे। उसको विड्रा किया था। जिसकी तारीख दिनांक 25.05.2017 थी। फिर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया था। जो विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें अपीलान्टस के पिता झाबरमल रेस्पोडेनट नम्बर 2, 4 ने भी उक्त एडवोकेट सुरेन्द्र भर्रा को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया था जिसका उनवानी प्रियांशु बनाम झाबरमल वगै. है। मु.नं. 246/2016 है यह दोनों दावा विचारण न्यायालय में साथ–साथ काफी समय तक विचाराधीन रहे है। इस दावा के बारे में अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी रही है परन्तु काफी देरी से हैरान व परेशान करने के लिए यह गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 96 जा. दी. खारिज होने योग्य है। अतः दोनों अपीले खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जहां तक अपील संख्या 41/2024 सीताराम बनाम प्रियांशु का प्रश्न है इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील संख्या 41/2024 के अपीलांट सीताराम एवं मुकेश प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रहे है। विचारण न्यायालय में अपीलांट सीताराम व मुकेश की तामील के उपरांत दिनांक 24.11.2016 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना बताया है। इसके उपरांत दिनांक 22.12.2017 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राज.)

कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2018 को बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 26.02.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 30.04.2024 को अपीलांट का आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टस को व्यक्तिगत रूप से मौजूदा वाद का कोई सम्मन प्राप्त होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में तामील सम्यक नहीं मानी जा सकती है। अपीलान्ट का कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 झाबरमल व अन्य की ओर से अपीलान्टस के विरूद्ध पूर्व में विधिवत विभाजन का वाद पत्र मुकदमा नम्बर 251/2015 सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट ने पेश किया था जिसके लिए अपीलान्टस ने न्यायालय में उपस्थित आये थे तब सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट ने प्रार्थीगण से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे और कहा था कि आपका दूसरा वकील नियुक्त करवाकर उक्त वाद पत्र मु. नम्बर 251/2015 का निर्णय सहमति से करवाकर वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवा दूंगा। उक्त प्रकरण के संबंध में अपीलान्टस ने सुरेन्द्र सिंह भर्रा एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया था। ऐसी स्थिति में सम्यक तामील के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

जहां तक अपील संख्या 33/2018 चन्दा बनाम प्रियांशु में धारा 96 के आवेदन का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विवादित भूमियों के संदर्भ में अपीलांट सीताराम, मुकेश कुमार की ओर से दिनांक 09.01.2018 को दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 12/2018 प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में अपीलांट चन्दा, सुनीता, कौशल्या प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के रूप में पक्षकार है। इसी प्रकार झाबरमल, चन्द्रा, सुनीता, कौशल्या की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमियों के संदर्भ में खाता विभाजन का वाद संख्या 251/2015 प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 25.05.2017 को विड्रा किया गया है।

...ल कुमार II RAS
...प्रबन्ध अधिकारी एवं
...रेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट भी स्व. हनुमानप्रसाद की पोतिया है तथा उक्त अप्रार्थी नम्बर 2 की जाईन्दा पुत्रियां है। उनके भी उक्त सम्पति में अप्रार्थीगण के समान अधिकार है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी द्वारा अपने नाम से 1/4, 124 का हिस्सा अमल दरामद करवाने का निर्णय व डिक्री अपने हक में पारित करवाई है अगर अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 उक्त विवादित जमीन में हिस्सा रखते है तो उतना ही हिस्सा प्रार्थीगण का भी बनता है।

विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 4 का बराबर का हिस्सा है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित किये बिना विचारण न्यायालय से अपने हक में दावा निर्णित व डिक्री करवाया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर एक ने इनको पक्षकार बनाये वगैर ही बाला बाला अपने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2, 3 व 4 की खातेदारी अपने नाम ही निर्णित व डिक्री करवा ली व अपीलान्ट को दावे के पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था ओर इनको पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेन्टस ने अपने हक में दावा निर्णित व डिक्री करवा लिया जिस निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण/प्रार्थीगण प्रभावित हुए है उनके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है।

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील संख्या 33/2018 में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर समस्त प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 24.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)